संख्या-321/2025/3040/22-2-2022-17(947)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 04 अप्रैल, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लालजी यादव, निवासी जनपद-कैमुर भभुआं(बिहार) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-23650/प्रोवेशन-6/214,दिनांक 20.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लालजी यादव, ग्राम-भानपुर, थाना-दुर्गावती, जनपद-कैमुर भभुआं(बिहार) का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.01.2002 को प्रयोगात्मक परीक्षा दिलाये जाने के बहाने ले जाकर राजश्री नामक 18 वर्षीय लड़की का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-386/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय सं0-3, वाराणसी के आदेश दिनांक 25.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 20 वर्ष, 04 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 08 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा लड़की के साथ निमर्मता पूर्वक बलात्कार कर उसकी हत्या करना, घृणित एवं जघन्य व स्त्री जाति के व्यक्तित्व के विरूद्ध ही नहीं अपितु समग्र समाज के विरूद्ध किया गया अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 व यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लालजी यादव की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र यादव (बन्दी संख्या-247/2007) पुत्र लालजी यादव, निवासी जनपद-कैमुर भभुआं(बिहार) की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-321/2025/3040(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट,कैमुर भभुआं(बिहार)।

2- वरिष्ठ अधीक्षक,केन्द्रीय कारागार,वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव,मा0 राज्यमंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।